फोन / फैक्स : 0135–2621689 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

कार्यालय–निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5 / 1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 2117 /10-1 देहरादून, दिनांक 29-10-2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद–देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लालपानी कक्ष सं0–2 में बसाने हेतु 2.40है0 वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की फाईल सं0 8बी / यू.सी.पी. / 09 / 193 / 2019 / एफ.सी. / 1181, दिनांक 07–09–2020 एंव Processing Authority /प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून का ई0डी0एस0 दिनांक 10–09–2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में जनपद–देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लालपानी कक्ष सं0–2 में बसाने हेतु 2.40है0 वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र द्वारा चाही गयी (02) दो बिन्दुओं की वांछित सूचना Processing Authority /प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही निम्नवत् प्रेषित है:–

भारत सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र से मांगी गयी सूचना का बिन्दु	**प्रतिउत्तर**
1. बिन्दु सं0 01 के प्रतिउत्तर में यह उल्लेखित है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों /शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया जायेगा। राज्य सरकार मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में अंकित सभी बिन्दुओं का बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, तद्परान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों /शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न है। (**संलग्नक–1**)
2. बिन्दु सं0 11 का उत्तर मान्य योग्य नहीं है। गाईडलाइन्स के अनुसार जितना क्षेत्र विस्थापितों द्वारा खाली किया जायेगा उतना ही क्षेत्र de-reservation के लिऐ मान्य किया जा सकता है।	बिन्दु सं0 11 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिऐ गये निर्णयानुसार प्राप्त निर्देश के क्रम में वर्ष 2009 में टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्ड़गांव–03 के मूल विस्थापित परिवारों एंव इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों की संलग्न सूची के अनुसार देहरादून वन प्रभाग के लालपानी कक्ष सं0–02 में उपलब्ध 2.40है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि उत्तराखण्ड़ शासन, वन एंव पर्यावरण अनुभाग–2, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 (**प्रति संलग्नक–2**) में उल्लिखित शर्तों के तहत् आवंटित करने की स्वीकृति प्राप्त है के अनुसार जितनी भूमि टी0एच0डी0सी0 द्वारा तत्समय इन 10 परिवारों को विस्थापन के समय आवंटित की गयी थी। उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड़ शासन, वन एंव पर्यावरण अनुभाग–2, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड़ के स्तर से लालपानी कक्ष सं0–02 में प्रस्तावित 2.40 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित कर आनलाईन अपलोड आदि की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार।

भवदीय

(डी0के0सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक 2117/12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपि – Processing Authority /प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्रों के कम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयांकित प्रकरण को सक्षम स्तर की कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

(डी0के0सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः— **Order of the Hon'ble Supreme court 28.01.2019 on T.A No. 3924/2015 in WP (Civil) 202/1995 regarding changing status of forest land to revenue land in case of voluntary relocation of village, reg.**

सन्दर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिवीजन) इन्दिरा पर्यावरण भवन, जौर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली की फाईल सं0 8–34/2017–एफ.सी. 20–05–2019 के उक्त विषयक पत्र के द्वारा चाही गयी बिन्दुवार वांछित सूचना निम्नवत् हैः—

भारत सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र से चाही गयी सूचना के बिन्दु	प्रतिउत्तर
1.Hon'ble Supreme Court order dated 28th January, 2019 where in Hon'ble Supreme Court based on recommendtation made in the CEC report dated 28.09.2018, in which it has extended the scope of its order dt. 21.11.2008 to all such cases of relocation/ rehabilitation of the Villages from the core /critical tiger reserves and core of the Protected areas (National Park and WL Sanctuaries) to the periphery of Reserved forest/ Sanctuaries/ National Parks subject to following conditions; a) resettlement /relocation within the boundaries of the notified forest land be considered only if suitable non-forest land is not available within the vicinity of the protected area from where the relocation is proposed.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि अर्थात राजस्व विभाग के नियन्त्राधीन सिविल सोयम /बंजर भूमि उपलब्ध न होने के कारण जनपद–देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की स्थापना हेतु खाण्डगांव–3 के 10 परिवारों के विस्थापन/पुर्नवास हेतु आरक्षित वन लालपानी कक्ष सं0–2 में 2.40 है0 का चयनित प्रस्तावित है।
b) the District Collector concerned shall furnish to the NTCA a certificate of non-availability of land suitable for relocation of the villages located within the protected Area and Tiger Reserve before any proposal of relocation within the forest is approved.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी /वन विभाग एंव राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रदत्त प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।
c) the land identified for relocation/ rehabilitation should not result in fragmentation of the forest /wildlife habitat.	32 परिवारों के विस्थापन /पुर्नवास हेतु पूर्व में आवंटित 26.00 है0 वन भूमि (भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों की प्रति संलग्न है।) से लगी अवशेष वन भूमि पर 10 परिवारों के विस्थापन /पुर्नवास हेतु आवंटित वन भूमि से लगी वन भूमि में वन्यजीवों के प्राकृतिक वासस्थलों एंव अन्य गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
d) the relocation activity shall be undertaken solely as a process of consolidation of the wildlife habitat.	राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की स्थापना हेतु खाण्डगांव–3 की खाली भूमि को वन्यजीवों के कोरीडोर के रूप में प्रयुक्त की जायेगी।
e) the relocation shall be undertaken only along the fringes of the forest such that all facilities to the resettled families can be provided without recourse to further diversion of forest land for providing infrastructure;	प्रयोक्ता एजेन्सी /वन विभाग द्वारा पुर्नवास हेतु प्रस्तावित लालपानी कक्ष सं0–2 में 2.40है0 आरक्षित वन भूमि में पुर्नवास की कार्यवाही की जायेगी।
f) the land /villages within the forest which have been vacated shall be brought under the protected area network through enabling notification under the Wildlife Protection Act after extinguishing all the existing rights over the vacated land.	प्रयोक्ता एजेन्सी /वन विभाग द्वारा वांछित कार्यवाही की जायेगी।

g) the extent of land de-reserved/de-notified for resettlement shall not be more than the extent vacated by the settlers in the core area; and	राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की स्थापना हेतु खाण्डगांव–3 के 10 परिवारों की कुल 1.8850है0 भूमि के बदले उनके विस्थापन/पुर्नवास हेतु अन्य मूलभूत सुविधाओं यथा सड़क, स्कूल, पार्क एंव पनघट आदि के लिऐ कुल 2.40है0 वन भूमि उत्तराखण्ड़ शासन, वन एंव पर्यावरण अनुभाग–2, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के आदेशानुसार लालपानी कक्ष सं0–2 में दी जानी प्रस्तावित है।
h) the payment of NPV and cost of CA may be exempted in all such cases of voluntary relocation/ rehabilitation of familes from the protected area s undertaken within the forest land.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन विभाग के नियन्त्राधीन 2.40है0 आरक्षित वन भूमि को पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तावित किये जाने के फलस्वरूप वांछित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव एन0पी0वी0 का प्राविधान नहीं किया गया है।
2. In the regard, it is Informed that in compliance of the above order of the Hon'ble Supreme Court dt. 28.01.2019, the approval of the competent authority of the MoEF&CC is hereby conveyed for change ih the legal status of forest land in respect of all the 122 villages in 18 states(as mentioned in letter vide 12-12/2015-NTCA dataed 20.12.2018 of NTCA to Member Secretary, CEC) which have been relocated to forest areas from the National Parks, Wildlife Sanctuaries/Tiger reserves copies of letter of NTCA to CEC dt. 20.12.2018, Hon'ble Supreme Court ordefs dt. 21.11.2008 & 28.01.2019. Report of CEC dt. 26.12.2018 are enclosed.	प्रकरण में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार वांछित कार्यवाही की जायेगी।
3. It is also to inform that in future, all relocation/ rehabilitation cases involving forest land shall be considered for change in legal status of the forest land on case to case basis as per the provisions under Forest(Conservation) Act, 1980, subject to conditions at para-1 above.	पुर्नवास हेतु प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में शासन स्तर के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी /वन विभाग द्वारा वांछित कार्यवाही की जायेगी।

(डी0के0सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

संख्या /X-2-2016-12(26)/2002

प्रेषक,

एरा0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 04 नवम्बर, 2016

विषय–राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर वन्य जीव कॉरीडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्डगांव–03 के 10 अतिरिक्त परिवारों का विस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3087/3–48, देहरादून, दिनांक 26.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से राजाजी टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर वन्य जीव कॉरीडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव–03 में टिहरी बांध के 31 मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के 32 केतागणों सहित कुल 63 परिवारों को पूर्व में देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के लालपानी कक्ष संख्या–02 की 26.00 है0 वन भूमि भारत सरकार के अनुमोदनोपरान्त विस्थापित करने हेतु आवंटित की गयी थी, के अतिरिक्त वर्ष 2009 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टी0एच0डी0सी0) द्वारा खाण्डगांव–03 में मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के केतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों को भी संलग्न सूची के अनुसार लालपानी कक्ष संख्या–02 में ही विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2009 मे टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्डगांव–03 के मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के केतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों को संलग्न सूची के अनुसार देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के लालपानी कक्ष संख्या–02 में उपलब्ध 2.4 है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि निम्न शर्तों के तहत आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जितनी भूमि टी0एच0डी0सी0 द्वारा तत्समय इन 10 अतिरिक्त परिवारों को विस्थापन के समय आवंटित की गयी थीः–

1. खाण्डगांव–03 के पूर्व में विस्थापित परिवारों/किसानों व वन विभाग के मध्य हुये सशर्त अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) के अनुसार ही प्रश्नगत प्रकरण में विस्थापन हेतु प्रस्तावित मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के केतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों के साथ एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जायेगा।
2. लालपानी कक्ष संख्या–02 में विस्थापितों को उपलब्ध करायी जा रही भूमि की वैधानिक स्थिति तब तक आरक्षित वन की ही रहेगी जब तक खाण्डगांव–03 में उक्त 10 अतिरिक्त परिवारों की निजी भूमि का वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद न हो जाये।
3. लालपानी कक्ष संख्या–02 की वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

3— अतएव निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के स्तर से लालपा संख्या—02 में प्रस्तावित 2.4 है0 वन भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव गठित कर नियमानुसार अ अपलोड आदि की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कृत से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0 रामा
अपर मुख्य

संख्या 3719/X-2-2016-12(26)/2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरा
2. वन संरक्षक/निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञ

(मीनाक्षी
अपर

कार्यालय नि० रा० टा० पार्क
पंजिका क्रमांक 3642
पत्रावली संख्या 3-46(III)
दिनांक 07-12-2016
सर्वेयर ...आ० का० करें
...आत रेवें